हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 96

शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016/7 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बैठक के प्रारम्भ होते ही विपक्ष के सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि हमने नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा के लिए नोटिस दिया है जो शिमला, सोलन और नाहन में लोगों द्वारा गन्दा पानी पीने के बाद पीलिया रोग फैलने के बारे में है। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर सदन में तुरन्त चर्चा की जानी आवश्यक है। विपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि इन तीन ज़िलों में पीलिया रोग से बहुत से लोगों की जानें गई है। अतः विषय की गम्भीरता को देखते हुए सदन के अन्य कार्य को सस्पेंड करके इस पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आज दिनांक 26-02-2016 को 9.50 बजे नियम-67 के अन्तर्गत डा0 राजीव बिन्दल और श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय सदस्य से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है जो प्रदेश में विशेषकर शिमला, सोलन व सिरमौर ज़िलों में पीलिया से उत्पन्न स्थिति पर आधारित है। अतः यह विषय नियम-67 की परिधि में चर्चा हेतु नहीं आता है। फिर भी मैं मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस पर नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दूंगा।

11.12 AM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2595 से 2598 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2599 से 2612 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1139 से 1149 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. **कागज़ात सभा पटल परः**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (फर्स्ट अमेंडमेंट) रूल्ज़, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः का0(नि0-4)-ए(3)1/2012-II दिनांक 11.01.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.01.2016 को प्रकाशित;

(ii) सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम-XVI, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन,वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम-XVI,1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iv) सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम- XVI,1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. <u>अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अंतिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2015-2016 का प्रस्तुतीकरण :-</u>

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अंतिम किस्त प्रस्तुत करते हुए वक्तव्य दिया।

4. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः</u>

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया किः-

अब नियम 130 के अन्तर्गत प्रस्ताव होगा। अब डॉ0 राजीव बिन्दल नियम 130 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस विषय में नियम 67 के अन्तर्गत

माननीय सदस्यों सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, जय राम ठाकुर, गुलाब सिंह ठाकुर और विरेन्द्र कंवर जी की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें नियम 130 के अन्तर्गत श्री अनिरूद्ध सिंह की तरफ से भी नोटिस आया है। इसके अलावा श्री कुलदीप कुमार ने भी प्रश्नों के माध्यम से सूचना मांगी है जोकि तारांकित प्रश्न संख्या 2616 दिनांक 29-02-2016 को प्रश्नोत्तर हेतु निर्धारित है । यदि वे चाहें तो चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"प्रदेश में विशेषकर शिमला, सोलन व सिरमौर में फैले पीलिया से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. डॉ0 राजीव बिन्दल

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई ।)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

2. श्री कुलदीप कुमार
3. श्री कृष्ण लाल ठाकुर
4. श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव
5. श्री सुरेश कश्यप
6. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,मुख्य संसदीय सचिव
7. श्री अनिरूद्ध सिंह
8. श्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव
9. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष

10. श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा में हस्तक्षेप किया।

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(विपक्ष ने माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर के दौरान अपराह्न 4.15 बजे सदन से वॉक आउट किया।)

माननीय मुख्य मंत्री ने विपक्ष द्वारा किए गए वॉक आउट की निंदा की।

सदन की बैठक अपराह्न 4.25 बजे सोमवार, दिनांक 29 फरवरी, 2016 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई ।